न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 627/2019

अनवान : –

1. कौशल्या पुत्री लिछमणदारा पत्नी ओगप्रकाश जाति स्वामी साकिन वार्ड न. 22 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. कृष्णलाल पुत्र पुर्णदास जाति स्वामी साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
2. सुलतान पुत्र पुर्णदास जाति स्वामी साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3. बिमला पत्नी धर्मपाल जाति स्वामी साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
4. नवलकिशोर पुत्र धर्मपाल जाति स्वामी साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
5. राधेश्याम पुत्र धर्मपाल जाति स्वामी साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
6. सन्दीप पुत्र धर्मपाल जाति स्वामी साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

–असल प्रतिवादीगण

7. मैना पुत्री पुर्णदास पत्नी कानाराम जाति स्वागी साकिन बशीर तहसील टीबी जिला हनुमानगढ (राज.)
8. आरती पुत्री ठाकरदास पत्नी मनीष जाति स्वामी साकिन विजयनगर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
9. दिनेश पुत्र ठाकरदास जाति स्वामी साकिन सरदारपुरा खतवा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.)
10. उपंपजियक नोहर तहसील नोहर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान</u>

<u>काश्तकारी अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– 1. श्री संतलाल तिवाड़ी अधिवक्ता **वादी**

2. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

<u>निर्णय</u> दिनांक: 02/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के ख.न. 183/2 की 1.8910 हैक्टेयर भूमि का पुर्णदास पुत्र बस्तीराम जाति स्वामी साकिन अरड़की तह[illegible] खातेदार काश्तकार था। पुर्णदास पुत्र बस्तीराम (फोत) हो गया जि[illegible]न. 1 ता 2 व 7 एवं धर्मपाल, लिछमणदास पुत्रगण एवं सीमा पुत्री कुल 6 वा[illegible] हुए जिसमें धर्मपा[illegible]छमणदास पुत्रगण पुर्णदास एवं सीमा पुत्री पुर्णदास का देहान्त हो चुका है धर्मपाल के जायज वारीस प्रतिवादी न. 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:13:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ता 6 ही हैं एवं लिछमणदास की जायज वारीस वादिया ही है एवं सीमा पुत्री पुर्णदास पत्नी ठाकरदास के जायज वारीस प्रतिवादी न. 8 ता 9 ही है।

वादीया एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है विवादित भूमि पैतृकि जदी जायदाद है जो पुर्णदास पुत्र बस्तीराम को परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण अपने पिता के फोत होने पर विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी न. 1 ता 2 व 7 एवं धर्मपाल, लिछमणदास पुत्रगण एवं सीमा पुत्री का जन्म से ही अपने पिता के साथ ब.हि.ब. 1/7, 1/7 हक व हिस्सा बनता है। वादीया एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है बादीया पुर्णदास पुत्र बस्तीराम की पौत्री है एवं प्रतिवादी न. 1 ता 2 व 7 पुत्र एवं पुत्री है एवं प्रतिवादी न. 3 ता 6 पुत्रवधु व पोते हैं एवं प्रतिवादी न. 8 ता 9 दोहिती एवं दोहिता है पुर्णदास पुत्र बस्तीराम को परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण अपने पिता के फोत होने पर विवादित भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है विवादित भूमि पैतृकि जदी जायदाद है जिसमें प्रतिवादी न. 1 ता 2 व 7 एवं धर्मपाल, लिछमणदास पुत्रगण एवं सीमा पुत्री का जन्म से ही विवादित भूमि में अपने पिता के साथ ब.हि.ब. 1/7, 1/7 हक व हिस्सा बनता है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादीया के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिए वादीया विवादित भुमि में अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में 1/7 हिस्सा भूमि अपने नाम अमल दरामद करवाने की अधिकारीणी है।

विवादित भुमि पैतृक जददी जायदाद होने के कारण पुर्णदास पुत्र बस्तीराम एवं उसके वारिसान प्रतिवादी न. 1 ता 2 व 7 एवं धर्मपाल, लिछमणदास पुत्रगण एवं सीमा पुत्री विवादित भूमि में 1/7, 1/7 हिस्सा के हकदार हुए लेकिन प्रतिवादी न. 1 ता 2 एवं प्रतिवादी न. 3 ता 6 के पती, पिता धर्मपाल ने साजिसाना कार्यवाही कर गुपचुप तरिके से पुर्णदास पुत्र बस्तीराम के नाम दर्ज रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के ख.न. 183/2 की 1.8910 हैक्टेयर भूमि की एक वसीयत दिनांक 6–11–2008 को नोटेरी पब्लिक नोहर से प्रमाणित करवाली जो हुक व हिस्सा से ज्यादा भूमि की होने के कारण वादीया के हकूक के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है। जिसे शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवा कर वादीया विवादित भूमि में अपने 1/7 हिस्सा की घोषणा की करवा कर अपने नाम अमल दरामद करवाने की अधिकारीणी है यही विनाय दावा है। पुर्णदास पुत्र बस्तीराम का दिनांक 8–6–2012 को देहांत हो गया बाद देहांत वसीयत दिनांक 6–11–2008 के आधार पर प्रतिवादी न. 1 ता 2 एवं धर्मपाल ने विवादित इन्तकाल न. 1177 दिनांक 18–10–2013 के द्वारा अपने नाम दर्ज करवाली है जो वादीया के हकूक के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है।

प्रतिवादी स. 1 ता 6 [illegible] एक वसीयत दिनांक 6–11–2008 को नोटेरी पब्लिक नोहर से प्रमा[illegible] के आधार पर विवादित भूमि अपने नाम दर्ज करवाली है जिसका नाजा[illegible] के लिए विवादित भुमि को रहन बैय एवं मुतकिल करने की सरेआम धमकी देते है यदि प्रतिवादी न. 1 ता 6 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो बादीया को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी प्रकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:13:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी

सभंव नहीं है इसलिये वादीया, प्रतिवादी न. 1 ता 6 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारीणी है।

वादीया ने प्रतिवादी न. 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा कि वसीयत दिनांक 6–11–2008 को वादीया के हकूक के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवा कर विवादित भूमि में वादीया को 1/7 हिस्सा की खातेदार कास्तकार स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाले एवं विवादित भुमि को रहन वैय एवं मुंतकिल करने की नियत त्याग दे तो कुछ दिन तो टालमठोल करते रहे आखिर इन्कार हो गये इसिलिए यह वाद पेश किया गया है।

अत वाद वादीया डिक्र किया जाकर घोषणा की जावे की विवादित भूमि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के ख. न. 183/2 की 1.8910 हैक्टेयर भूमि में बादीया का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न. 1 ता 2 ब.हि.ब. 8/21 हिस्सा प्रतिवादी न. 3 ता 6 ब.हि.ब. 4/21 हिस्सा प्रतिवादी न. 7 का 1/7 हिस्सा प्रतिवादी न. 8 ता 9 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमावे।

वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की वादीया धर्मपाल की पुत्री है लिछमणदास की पुत्री ही नही है क्योंकि लिछमणदास लावल्द ही फौत हुआ था पूर्णदास ने अपने नाम दर्ज भूमि की दिनांक 06.11.2008 को प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 के पक्ष में वसीयत की थी एवं मुताबिक वसीयत नामान्तरण स0 1177 दिनांक 18.10.2013 को प्रतिवादीगण के नाम भूमि दर्ज हुई है। वादीया का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है तथा न ही वादीया वसीयत को शुन्य घोषित करवा पाने की अधिकारी है क्योंकि वसीयत को सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। प्रतिवादीगण वसीयत के आधार पर खातेदार काश्तकार है। यह वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है। अत जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद खारिज फरमावे।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गईः–

1. आया विवादित भूमि रोही मौजा अरडकी के खसरा न0 183/2 की 1.8910 हैक् भूमि में वादीया का 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब 8/21 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 बहिब 4/21 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8, 9 बहिब 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है ?

–वादीया

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के खिलाफ विवादित भूमि रहन बेय एवं मुन्तकिल ना करने एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है?

–वादीया

3. आया वसीयत दिनांक 06.11.2008 वादीया के हकुक तक शुन्य एवं प्रभावहीन है।

–वादीया

4. आया वादीया विवादित भूमि की किसी श्रेणी की काश्तकार नही है ?

–प्रतिवादी 1

5. आया प्रतिवादी मुताबिक वसीयत दिनांक 06.11.2008 के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुके है ?

–प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:13:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

6. आया वादीया का लक्ष्मण दावस की पुत्री नही है ?

–प्रतिवादी 1

7. आया वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है ?

–प्रतिवादी 1

8. दादरसी ?

साक्ष्य में वादीया कौशल्या पीडब्ल्यू–1, महेन्द्र पुत्र गुलाब पीडब्ल्यू–2 अर्जन पुत्र सन्तलाल पीडब्लयू–3 बयान लेखबद्ध किये गये। वादीया के तनकीयात की समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2071 रोही मौजा अरड़की खाता स0 36/141 ईएक्सपी–1, नकल नामान्तरण संख्या 1177 ग्राम अरड़की ईएक्सपी–2, नकल प्रमाणित प्रतिलिपी वसीयत दिनांक 06.11.2008 ईएक्सपी–3, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पूर्णदास पुत्र बस्तीदास, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत चौटाला बहक लिछमण दास ईएक्सपी–4, चित्रप्रति जन्म प्रमाण पत्र कौशल्या दिनांक 05.12.98, आधार कार्ड कौशल्या पुत्री लिछमण दास ईएक्सपी–5, चित्रप्रति ईएक्सपी 5ए, चित्रप्रति विवाह प्रमाण पत्र बहक कौशल्या, नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 ता 38 ग्राम अरड़की ईएक्सपी–6, आधार कार्ड कौशल्या ईएक्सपी–7, चित्रप्रति 7ए, असल अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2016 बहक कौशल्या ईएक्सपी–8, चित्रप्रति अंक तालिका ईएक्सपी 8ए, चित्रपति जाति प्रमाण पत्र बहक कौशल्या प्रदर्शित करवाये।

साक्ष्य प्रतिवादी में कृष्णलाल पुत्र पूर्णदास डीडब्यूडी–1, हनुमान डीडब्यूडी–2, संजीव डीडब्ल्यू डी–3 ने बयान लेखबद्ध करवाये। प्रतिवादीगण ने तनकीआत के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य असल वसीयत ईएक्सडी–1, चित्रप्रति वसीयत ईएक्सडी 1ए, नामान्तरण चित्रप्रति दिनांक 18.10.2013, टीसी कांता पुत्री धर्मपाल दिनांक 20.04.2012 ईएक्सडी–3, असल अखबार दिनांक 07.08.2012 जिसमे वसीयत की सार्वजनिक सुचना जारी की गई ईएक्सडी–4, वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075–2078 ईएक्सडी–5 प्रदर्शित करवाये।

वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी ने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2001 पेज न0 415, आरआरडी 2002 पेज न0 691, आरआरडी 1995 पेज नन0 532 व अधिवक्ता प्रतिवादी ने राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 39 पेज न0 118 से 121 पेश किये, जिनका हमने अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

<u>**तनकी नम्बर 1**</u>**, 2 व 3** :– तनकी न0 1, 2 व 3 को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीया का कथन है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के ख.न. 183/2 की 1.8910 हैक्टेयर भूमि वादीया के पूर्वजो बस्तीराम के नाम दर्ज थी एवं बस्तीराम के बाद वादीया के दादा पूर्णदास के नाम दर्ज हुई। पूर्णदास ने उक्त [illegible] वसीयत यानि की अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि की वसीयत कृष्णल[illegible] दी जबकि वादीया पूर्णदास के एक पुत्र लिछमणदास की पुत्री है इसलिए वादीया [illegible] भी उक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है एवं उक्त वसीयत वादीया के हकों के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ईएक्सपी 1 ता 8 के मुताबिक उक्त वाद भूमि की वसीयत पूर्णराम द्वारा अपने पुत्रों

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:13:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
अपदान अधिकारी
नोहर

कृष्णदास व पूर्णदास के पक्ष में बहिब करवायी गयी है तथा मुताबिक वसीयत वाद भूमि कृष्णलाल व धर्मपाल के वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है। वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श के मुताबिक उक्त भूमि बस्तीदास के नाम दर्ज रही है अर्थात वादीया के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है एवं बस्तीदास के बाद पूर्णदास के नाम दर्ज हुई है तथा पूर्णदास द्वारा दिनांक 06.11.2008 को कृष्णलाल व धर्मपाल के पक्ष में वसीयत की गई है। जबकि पूर्णदास को अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नही था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श ईएक्सडी के मुताबिक वसीयत हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की गई है लेकिन उस वक्त वादीया नाबालिग थी। "माननीय राजस्व मण्डल अजमेर आरआरटी 2023(1) पेज न0 372 ता 375 के मुताबिक भूमि पैतृक हो एवं पैतृक भूमि में से अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि को हस्तान्तरित किया गया है तो ऐसा दस्तावेज शून्य व अवैध है एवं बिना निरस्त करवाये राजस्व न्यायालय पैतृक भूमि में हिस्सा निर्धारित कर सकता है"। वाद भूमि पैतृक भूमि थी इसलिए पूर्णदास को अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि का वसीयत करने का अधिकार नही था वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादीया का भी उक्त भूमि में 1/7 हिस्सा बनता है अर्थात वादीया को 1/7 हिस्सा भूमि की खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण के नाम हक से ज्यादा भूमि दर्ज है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधिसम्मत है। अत तनकी न 1 ता 3 को साबित करने में वादीया सफल रही है इसलिए तनकी न0 1 ता 3 का निर्णय बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 4 ता 7</u> :– तनकी न0 4 ता 7 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था यह तनकी, तनकी न0 1 व 2 पर आधारित है जिसका विस्तृत निर्णय किया जा चुका है यह यह सही है कि मुताबिक वसीयत के आधार पर प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है लेकिन "माननीय राजस्व मण्डल अजमेर आरआरटी 2023(1) पेज न0 372 ता 375 के मुताबिक भूमि पैतृक हो एवं पैतृक भूमि में से अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि को हस्तान्तरित किया गया है तो ऐसा दस्तावेज शून्य व अवैध है एवं बिना निरस्त करवाये राजस्व न्यायालय पैतृक भूमि में हिस्सा निर्धारित कर सकता है" तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जन्मप्रमाण पत्र, अंकतालिका, आधार कार्ड में वादीया के पिता का नाम लक्ष्मण दास है अर्थात वादीया लक्ष्मण दास की पुत्री है। वाद भूमि पैतृक भूमि थी इसलिए पूर्णदास को अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि का वसीयत करने का अधिकार नही था वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादीया का भी उक्त भूमि में 1/7 हिस्सा बनता है अर्थात वादीया को 1/7 हिस्सा भूमि की खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। उक्त तथ्यों के आधार पर तनकी न0 4 ता 7 को प्रतिवादीगण सिद्ध करने में असफल रहे है अत तनकी न0 4 ता 7 का निर्णय भी बहक वादीया [illegible] प्रतिवादीगण किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:13:40 IST
Reason: SelfAttested

दादरसी। समस्त तनकियात का निर्णय हो चुका है [illegible] वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खसरा न0 183/2 की 1.8910 हैक् भूमि में वादीया को 1/7 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1, 2 को बहिब 8/21 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3

Rahul.

ता 6 को बहिब 4/21 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी संख्या 7 को 1/7 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 8, 9 को बहिब 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:13:40 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

ासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

्रण संख्या – 627/2019

नवान : –

1. कौशल्या पुत्री लिछमणदारा पत्नी ओगप्रकाश जाति स्वामी साकिन वार्ड न. 22 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. कृष्णलाल पुत्र पुर्णदास जाति स्वामी साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
2. सुलतान पुत्र पुर्णदास जाति स्वामी साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3. बिमला पत्नी धर्मपाल जाति स्वामी साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
4. नवलकिशोर पुत्र धर्मपाल जाति स्वामी साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
5. राधेश्याम पुत्र धर्मपाल जाति स्वामी साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
6. सन्दीप पुत्र धर्मपाल जाति स्वामी साकिन अरड़की तहसील नोहर हाल आबाद चोटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

–असल प्रतिवादीगण

7. मैना पुत्री पुर्णदास पत्नी कानाराम जाति स्वागी साकिन बशीर तहसील टीबी जिला हनुमानगढ (राज.)
8. आरती पुत्री ठाकरदास पत्नी मनीष जाति स्वामी साकिन विजयनगर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
9. दिनेश पुत्र ठाकरदास जाति स्वामी साकिन सरदारपुरा खतवा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.)
10. उपंपजियक नोहर तहसील नोहर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 567 सन 2017 निर्णय दिनांक 02/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री संतलाल तिवाड़ी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है एवं घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खसरा न0 183/2 की 1.8910 हैक् भूमि में वादीया को 1/7 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1, 2 को बहिब 8/21 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 को बहिब 4/21 हिस्सा भूमि का, प्रतिवादी संख्या 7 को 1/7 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 8, 9 को बहिब 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं किसी सक्षम न्यायालय आदि का [illegible] उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षक[illegible] अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.04 11:13:40 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दि[illegible] एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर